

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
फाईल नं. UP/416/2018- APCR
सुनवाई तिथि 10.09.2018 का कार्यवृत्त

श्री पंकज वर्मा, अपर जिलाधिकारी, राजस्व, कानपुर देहात, अपर पुलिस अधीक्षक सुनवाई में उपस्थित थे।

पुलिस ने सूचित किया कि दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। पीड़िता को नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा मेडिकल के बाद 2,50,000 आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

चूँकि अब आरोप पत्र भी प्रस्तुत हो गया है। अतः आरोप पत्र के पश्चात् दी जाने वाली राहत धनराशि 20.09.2018 तक पीड़िता को प्रदान कर जिलाधिकारी रिपोर्ट देंगे।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाए। तदनुसार अगली सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग